

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

नज़ूल पट्टा नामांतरण (राजस्व सेवाएँ) हेतु छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन




छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी

विषय सूची

ई-डिस्ट्रिक्ट: होम पेज	2
चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण.....	3
चरण 3: पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन	4
चरण 3: योजना खोज	5
चरण 4: आवेदक की बुनियादी जानकारी.....	7
चरण 5: नज़ूल पट्टा नामांतरण (राजस्व सेवाएँ) हेतु आवेदन	8
चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना.....	9
चरण 7: पूर्वावलोकन और आवेदन जमा करना.....	10
चरण 8: शुल्क का भुगतान.....	11
चरण 9: पावती सुरक्षित रखना	12

ई-डिस्ट्रिक्ट: होम पेज

अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में टाइप करें – cgedistrict.cgstate.gov.in
निम्नानुसार होमपेज खुलेगा।



चित्र क्रमांक 1: छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट होम पेज

लॉगिन करने के लिए होम पेज पर **नागरिक लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।



चित्र क्रमांक 2: नागरिक लॉगिन बटन

चरण 1: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण

अगर आप नए यूजर हैं तो छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया द्वारा रजिस्टर करें।

चित्र क्रमांक 3: नवीन उपयोगकर्ता पंजीयन

चरण 1.1: नए पंजीयन हेतु दिए गए लिंक पर क्लिक करें, निम्नानुसार नागरिक पंजीकरण पेज खुलेगा।

चित्र क्रमांक 4: नागरिक पंजीकरण पेज

चरण 1.2: नागरिक पंजीकरण पेज पर आवेदक उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें।

चरण 1.2: फॉर्म में पूछी गई ज़रूरी जानकारियाँ दर्ज करें।

चरण 1.2: “जमा करें” बटन पर क्लिक करें। इस तरह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

चरण 3: पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन

पंजीकृत उपयोगकर्ता निम्न प्रक्रिया द्वारा लॉगिन करें।

चित्र क्रमांक 5: उपयोगकर्ता लॉगिन प्रक्रिया

1. **यूज़रनेम** दर्ज करें।
2. **पासवर्ड** दर्ज करें।
3. **“ओटीपी भेजें”** पर क्लिक करें।
4. अपने पंजीकृत नंबर पर प्राप्त ओटीपी यहाँ दर्ज करें।
5. **लॉगिन** बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: योजना खोज

चरण 3.1: योजना खोज पेज में दी गई जानकारी भरें।

चरण 3.2: खोजें पर क्लिक करें। सेवाओं की सूची खुलेगी।

योजना खोज

कृपया नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें:

लिंग:
पुरुष

उम्र:
मैं मध्यम उम्र का हूँ (25-60 वर्ष)

वैवाहिक स्थिति:
विवाहित

शैक्षणिक विवरण:
स्नातकोत्तर

आपका पेशा:
अन्य

क्या आपके पास बीपीएल कार्ड है:
नहीं

खोजें

सेवाओं की सूची:
Marriage Certificate
INCOME Certificate
Domicile Certificate
Issuance of Ration card
Registration for Employment
Permanent Driving Licence
fishes
Fisheries Training
Fisheries - Allocation of reservoir/Pond for lease

चित्र क्रमांक 6: योजना खोज पेज

चरण 3.3: प्रदर्शित सेवाओं की सूची में प्रदर्शित **राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)** का विकल्प न हो तो होम पेज पर क्लिक करें। निम्नानुसार उपयोगकर्ता का होमपेज खुलेगा।

सभी सेवाएँ देखें

योजना खोज

मेरी सेवाएँ

लॉगिन उपयोग रिपोर्ट

कार्डर सेवाओं में

Search...

मूल निवासी प्रमाण पत्र

0 Approved 1 Draft

© 2022 cgstate.gov.in | All rights reserved.

चित्र क्रमांक 7: उपयोगकर्ता होम पेज

चरण 3.4: होम पेज में दिए गए "सभी सेवाएँ देखें" लिंक पर क्लिक करें। सेवाओं की सूची दिखाई देगी।

Session Timeout (in Minutes): 14:58 Home

सेवाओं की सूची

Show 10 entries Search:

क्रमांक नं	सेवा का नाम	सेवा श्रेणी	समय सीमा	विवरण
81	ई-कोर्ट - केस फंजीकरण	प्रमाण पत्र	15 दिन	
82	राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नवीनीकरण हेतु)	राजस्व	90 दिन	
83	राजस्व सेवाएँ (शोध भ्रमता 5 लाख से कम)	राजस्व	90 दिन	
84	राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा सीमांकन हेतु)	राजस्व	90 दिन	
85	राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)	राजस्व	90 दिन	
86	राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित नामांतरण हेतु)	राजस्व	90 दिन	
87	राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित किसान फिताब हेतु)	राजस्व	90 दिन	
88	राजस्व सेवाएँ (कृषि भूमि/परिवर्तित RBC 6(4) - राहत सहायता (प्राकृतिक आपदा)	राजस्व	90 दिन	
89	नॉन डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि) हेतु	राजस्व	15 दिन	
90	फॉर्म ए - तन भूमि पर अधिकार के लिए दावा फॉर्म (व्यक्तिगत वन अधिकार)	प्रमाण पत्र	30 दिन	

Showing page 9 of 11 Previous 1 ... 7 8 9 10 11 Next

चित्र क्रमांक 7: सेवाओं की सूची

चरण 3.5: सेवाओं की सूची में से **राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)** के सामने दिए गए बटन पर क्लिक करें। आवेदक सर्च बार में योजना का नाम टाइप करके भी योजना की खोज कर सकते हैं।

निम्नानुसार सेवा का परिचय पेज खुलेगा। इस पेज पर आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची भी देखी जा सकती है।

Session Timeout (in Minutes): 14:59 Home

राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)
राजस्व विभाग

आगे दस पेज को छोड़ें

परिचय

राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा सीमांकन) सेवा नज़ूल भूमि पट्टों के सीमांकन हेतु आवेदन सुविधा प्रदान करती है। आवेदक को नज़ूल अधिकारी द्वारा आवेदन भूमि के सट्टे चयन और सेवाओं के निर्धारण के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ई-डिजिटल पोर्टल पर अपना खाता बनाया जाता है। उसके बाद लॉगिन करके सेवा का उपयोग किया जा सकता है। या फिर, वे अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र (LSK) या नॉन-डिजिटल सेंटर (NSD) के माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें, राजस्व अनुभाग में राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा सीमांकन) विकल्प चुनें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें। आवेदन जमा होने के बाद इसे सीमांकन प्रशासन के पास भेजा जाएगा और सर्वेक्षक के लिए भेजा जाएगा। आवेदन और अनुमोदन प्राप्त होने पर सीमांकन विभाग अधिकारीक रूप से दर्द किए जाते हैं और आवेदक को प्रमाणित सीमांकन रिपोर्ट दी जाती है। यह सेवा नज़ूल के लिए भूमि संबंधी कार्यों में पर्याप्तता, जवाबदेही और चुगलता सुनिश्चित करती है।

आवश्यक दस्तावेज़

क्रम सं.	दस्तावेज़ प्रकार	सहायक दस्तावेज़	अवधि	प्रारूप
1	खसरा	खसरा	हाँ	
2	नक्शा	नक्शा	हाँ	
3	खसरेदार का बांध पत्र	खसरेदार का बांध पत्र	हाँ	
4	दुपेसदार बुटक	दुपेसदार बुटक	हाँ	
5	आवकता	आवकता	हाँ	
6	सीमांकन सम्बंधित अन्य दस्तावेज़	सीमांकन सम्बंधित अन्य दस्तावेज़	हाँ	
7	आवेदन प्रारंभ निर्दिष्ट शुल्क चर्चित	आवेदन प्रारंभ निर्दिष्ट शुल्क चर्चित	हाँ	
8	नज़ूल नज़ूल पट्टा की प्रती	नज़ूल नज़ूल पट्टा की प्रती	हाँ	
9	खसरा और अर्द्ध/कसाकसनामा	खसरा और अर्द्ध/कसाकसनामा	हाँ	
10	भूमि सम्बंधित दस्तावेज़	खसरेदार की प्रती	हाँ	
11	सम्बंधित का आधार	अन्य	हाँ	
		सर्वेक्षण/विभाग		
		विभाग पत्र		
		नवीनीकरण दस्तावेज़		
12	अन्य दस्तावेज़	अन्य दस्तावेज़	हाँ	

शुल्क सम्बंधित जानकारी

आवेदन नहीं करें

लोक सेवा केंद्र	₹30.0
ऑनलाइन	₹30.0

समय सीमा

90 दिन

चित्र क्रमांक 8: सहायक दस्तावेज़ों की सूची

चरण 3.4: "आगे" बटन पर क्लिक करें।

चरण 4: आवेदक की बुनियादी जानकारी

चरण 4.1: निम्नानुसार फॉर्म में पूछी गई जानकारीयाँ दर्ज करें।

चित्र क्रमांक 9: आवेदक की बुनियादी जानकारी

चरण 4.2: फॉर्म भरने के बाद “जमा करें” बटन पर क्लिक करें। निम्नानुसार दस्तावेजों की जांच सूची दिखाई देगी।

चित्र क्रमांक 10: सहायक दस्तावेजों की जांच सूची

चरण 4.3: इस विंडो में दिए गए “जमा” बटन पर क्लिक करें।

चरण 5: नज़ूल पट्टा नामांतरण (राजस्व सेवाएँ) हेतु आवेदन

चरण 5.1: आवेदन फॉर्म में आवेदक व्यक्तिगत व भूमि संबंधी ज़रूरी जानकारियाँ दर्ज करें।

SESSION Timeout (in Minute) : 14:56

राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)

मेन्टेशन / आवेदन पत्र

आवेदक विवरण

सोहन साल

पिता या पति का नाम *

आवेदक का पता *

ग्राम *

पटवारी हल्का नंबर *

खसरा क्रमांक *

प्लॉट नंबर :

शीट नंबर :

सहेजें और पूर्ववलोकन सूचारे फिले

चित्र क्रमांक 11: नज़ूल पट्टा नामांतरण (राजस्व सेवाएँ) हेतु आवेदन

चरण 5.2: फॉर्म भरने के बाद “सहेजें और पूर्ववलोकन” बटन पर क्लिक करें।

चरण 6: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना

अनुलग्नक का विवरण पेज खुलेगा। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें।

Session TimeOut (in Minute) : 14:58 🏠 होम ▼

अनुलग्नक का विवरण

चिन्हित दस्तावेज़ लगाना अनिवार्य है (*)
समाल संलग्नक प्रकार का कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है।(*)
कृपया केवल अधिकतम 750kb की फ़ाइलें (.jpeg/.jpg/.png/.pdf) अपलोड करें।

11	नामांतरण का आधार #	चिक्रम पत्र	<input type="text"/>	अपलोड	<input type="button" value="UPLOAD"/>	<input type="checkbox"/>
12	नामांतरण का आधार #	पंजीकृत दानपत्र	<input type="text"/>	अपलोड	<input type="button" value="UPLOAD"/>	<input type="checkbox"/>
13	सीमांकन सम्बंधित अन्य दस्तावेज़	सीमांकन सम्बंधित अन्य दस्तावेज़	<input type="text"/>	अपलोड	<input type="button" value="UPLOAD"/>	<input type="checkbox"/>
14	मूल नज़ूत पृष्ठा की प्रति	मूल नज़ूत पृष्ठा की प्रति	<input type="text"/>	अपलोड	<input type="button" value="UPLOAD"/>	<input type="checkbox"/>
15	भूमि सम्बंधित दस्तावेज़	रजिस्ट्री की नकल	<input type="text"/>	अपलोड	<input type="button" value="UPLOAD"/>	<input type="checkbox"/>
16	अन्य दस्तावेज़ १	अन्य दस्तावेज़	<input type="text"/>	अपलोड	<input type="button" value="UPLOAD"/>	<input type="checkbox"/>

चित्र क्रमांक 12: सहायक दस्तावेज़ अपलोड

चरण 6.1: "Choose File" पर क्लिक कर अपने कम्प्यूटर या लैपटॉप से दस्तावेज़ की स्कैन कॉपी चुनें।

चरण 6.2: फाइल चुनने के बाद "UPLOAD" पर क्लिक करें।

चरण 6.3: दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद "अनुलग्नक सहेजें" पर क्लिक करें।

चरण 6.4: पुष्टिकरण के लिए डॉयलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे ओके कर दें।

चरण 7: पूर्ववलोकन और आवेदन जमा करना

अनुलग्नक सहेजने के पश्चात् निम्न चित्रानुसार पूर्ववलोकन पेज खुलेगा। ध्यानपूर्वक अपने आवेदन की जांच करें।

Session TimeOut (In Minute) : 15:00

पूर्ववलोकन- टाइटल मैदाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)

1	आवेदन प्रपत्र निर्धारित शुल्क सहित	आवेदन प्रपत्र निर्धारित शुल्क सहित	देखें
2	खसरा	खसरा	देखें
3	नक्शा	नक्शा	देखें
4	खातेदार का शपथ पत्र	खातेदार का शपथ पत्र	देखें
5	इस्तेहार शुल्क	इस्तेहार शुल्क	देखें
6	तलबाना	तलबाना	देखें
7	पावर ऑफ़ अटॉर्नी/वकालतनामा	पावर ऑफ़ अटॉर्नी	देखें
8	पावर ऑफ़ अटॉर्नी/वकालतनामा	वकालतनामा	देखें
9	नामांतरण का आधार	बसीपत्त/हिबानामा	देखें
10	नामांतरण का आधार	विक्रय पत्र	देखें
11	नामांतरण का आधार	पंजीकृत दानपत्र	देखें

मैंने मेरे द्वारा किए गए आवेदन पत्र को भलीभांति देखा लिया है और यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान किए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में अधिकृत लोक सेवा केन्द्र या सक्षम अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसी स्थिति में पूर्णतया मैं स्वयं जिम्मेदार दूँगा/दूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

मेरी **मंथन** घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदाय किये गये सनस्त दस्तावेजों को मूल प्रति से स्कैन किया गया है, तत्पश्चात पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है। दस्तावेजों के किसी भी तदृढ़ त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर संपूर्ण जवाबदेही मेरी होगी, एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

आवेदन जमा करने के लिए यहाँ चेक करें

जमा करें छाप अनुलग्नक सुधारें आवेदन सुधारें बुनियादी जानकारी सुधारें बंद

चित्र क्रमांक 13: पूर्ववलोकन

चरण 7.1 घोषणा: घोषणा हेतु निर्धारित बॉक्स पर क्लिक करें।

चरण 7.2: घोषणा पर क्लिक करते ही **“जमा करें”** बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

चरण 8: शुल्क का भुगतान

यह पेज कियोस्क ऑपरेटर द्वारा प्रति यूनिट लिए जाने वाले सेवा शुल्क को प्रदर्शित करता है।

Session TimeOut (In Minute) : 14:57 🏠 होम

शुल्क विवरण

क्रमांक नं	शुल्क	कुल राशि
1	लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क	30 /-Rs.
2	स्कैनिंग शुल्क	30 /-Rs.
कुल		60 /-Rs.

भुगतान का तरीका eWallet

जमा करें बंद

चित्र क्रमांक 14: शुल्क का विवरण

चरण 8.1: निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

चरण 8.2: “जमा करें” पर क्लिक करें। इस तरह आवेदन जमा हो जाएगा।

नोट:

- लोकसेवा केंद्र/ सीएससी/कियोस्क के लिए सेवा शुल्क रु. 30 निर्धारित हैं।
- पाँच दस्तावेज़ों तक की स्कैनिंग निःशुल्क है। अतिरिक्त दस्तावेज़ों के लिए सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- इसके अतिरिक्त और कोई शुल्क देय नहीं है।

चरण 9: पावती सुरक्षित रखना

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात् पावती जेनरेट होती है। इसमें **आवेदन संदर्भ क्रमांक** देखा जा सकता है। इस पावती का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें।



पावती (लोक सेवा गारंटी)



आवेदन सारांश:

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक	0760012601000001				
आवेदन दिनांक	12-02-2026				
सेवा का नाम	राजस्व सेवाएँ (नज़ूल पट्टा नामांतरण हेतु)				
भुगतान का विवरण	<table><tr><td>लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क</td><td>30.00</td></tr><tr><td>स्केनिंग शुल्क</td><td>27.00</td></tr></table>	लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क	30.00	स्केनिंग शुल्क	27.00
लोकसेवा केंद्र/सीएससी/कीओस्क के लिए सेवा शुल्क	30.00				
स्केनिंग शुल्क	27.00				
कुल भुगतान शुल्क	57.0				
भुगतान का तरीका	ई-वॉलेट				
सेवा की नियत तिथि	01-07-2026				
प्रदेय विवरण (प्रमाण पत्र, नगद प्राप्ति, आदेश की प्रति)	आदेश की प्रति				

कार्यालय	
कार्यालय प्रकार	जिला-कलेक्टर
जिला	रायपुर
जिला-कलेक्टर	जिला कलेक्टर रायपुर

आवेदक का विवरण	
नाम	सोहन लाल
पता	रायपुर छत्तीसगढ़
जिला	रायपुर
राज्य	छत्तीसगढ़
ईमेल	abc@gmail.com
मोबाइल नंबर	9999999999

किसी भी पृष्ठताछ के लिये अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र में संपर्क करें

लोक सेवा केंद्र / सी.एस. सी. / चॉइस केंद्र का विवरण	
नाम	हीन मथान
पता	देवेन्द्र पागर
मोबाइल नंबर	9999999999

मुहर एवं हस्ताक्षर

नोट: 1. यदि वैध शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी राशि की मांग की जाती है तो 0771-4013758 नंबर पर संपर्क करें।

2. आवेदन शुल्क रु. 30 (तीस रुपये मात्र) तथा समुचित वांछित दस्तावेज प्राप्त करते समय रु. 5 (पांच रुपये मात्र)

चित्र क्रमांक 15: पावती एवं आवेदन संदर्भ क्रमांक

आवेदन संदर्भ क्रमांक की सहायता से आवेदन की स्थिति छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर देखी जा सकती है।

उपयोगी जानकारी:

- आवेदन जमा करने के बाद निर्धारित 90 दिनों की समय-सीमा के अंदर आवेदन का निराकरण कर दिया जाता है।
- सत्यापन और अनुमोदन पश्चात् नामांतरण आधिकारिक रूप से सरकारी भू-अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाता है।